झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
षष्ठम् (मानसून)सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 29.07.2016 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री अरूप चटर्जी, मनोज कुमार यादव एवं श्री राजकुमार यादव स0वि0स0	राज्य अवस्थित जी0टी0 रोड (NH2) के किनारे स्थित भूमि आवासीय दर से भी ज्यादा उची दरों पर बिकती है एवं निबंधन विभाग के अधिसूचना में भी इन भू-खण्डों पर वर्णित कारणों से ज्यादा निबंधन शुल्क लिया जाता है, परन्तु वर्त्तमान समय में Six Lane NH2 के लिए भूमि अधिग्रहण में उक्त अधिगृहीत भू-खण्डों पर रैयतों को मुआवजा कृषि दर पर दी जा रही है साथ ही भवनों, मकानों तथा दुकानों पर भी आंशिक मुआवजा दे रही है, जो पुर्णतः भू-अर्जन नीति 2013 का उल्लंघन है। अतः हम सरकार का ध्यानआकृष्ट कराना चाहते हैं कि अविलम्ब उक्त विषयों पर अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार
02-	सर्वश्री कुणाल षडंगी, बादल एवं श्री अमित कुमार स0वि0स0	झारखण्ड राज्य से बाहर के राज्यों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृति देने का प्रावधान है, लेकिन विगत डेढ़ वर्षो से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, जिससे उनलोगों को अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने में कठिनाई हो रही है। OBC के छात्रों को भी दो वर्षो से छात्रवृति नही मिल रही है। अतएव अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं OBC के छात्रों को शीघ्र छात्रवृति उपलब्ध कराने के लिए हम सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते है।	कल्याण

कृ0पृ030

01.	02.	03.	04.
03-	श्री सुखदेव भगत स0वि0स0	राँची विश्वविद्यालय, राँची के विभिन्न महाविद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के 62 स्वीकृत पद के विरूद्ध 51 शिक्षक 1980 एवं 1989 ई0 से कार्यरत है, जिनका सेवा सामंजन अप्रैल 2006 से किया गया है। कार्यरत सभी 51 शिक्षकों की नियुक्ति की तिथि से सेवा सामंजन के लिए संबंधित परिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी अधिषद् (Senate) की बैठक में पारित कर विभाग को भेज दिया गया है। अतः जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग के 51 शिक्षको की सेवा सामंजन की तिथि में संशोधन कर नियुक्ति की तिथि से करने संबंधी अधिसूचना निर्गत करने हेतु मैं सदन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा
04-	श्री भानू प्रताप शाही एवं श्रीमती गीता कोड़ा स0वि0स0	दिनांक- 18.01.2016 से राज्य मानवाधिकार आयोग का पद रिक्त है, जिसके कारण मानवाधिकार हनन से संबंधित परिवाद की सुनवाई नहीं हो रही है तथा पुलिस अधिकारियों का दमन बढ़ रहा है। कई नाबालिगों के साथ पुलिस प्रताड़ना का केस सामने आया है। यदि मानवाधिकार आयोग का पद रिक्त नहीं होता तो अब तक संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। अतः हम अविलम्ब राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर एक सक्षम ईमानदार एवं सशक्त व्यक्ति के नियुक्ति के लिए सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
05-	श्री नारायण दास एवं श्री केदार हजरा स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुए कई महीनें हो गये है परन्तु अभीतक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके कारण आयोग अस्तित्व में नहीं आया है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

		इससे राज्य के अनुसूचित जाति के लोग लाभान्वित नहीं हो पा रहे है एवं ठगा महसूस कर रहे है। अतः गठित आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति हेतु सदन के माध्यम से हम सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहते हैं।	

राँची,
दिनांक- 29 जुलाई, 2016 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2964/वि0 स0, राँची, दिनांक-28/07/16.

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ कल्याण विभाग/उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-20/2016-2964/वि0 स0, राँची, दिनांक-28/07/16

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-